न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट , आर.ए.एस.

अपील संख्या : 196/2017 एल.आर. एक्ट

1. मु. बीबी पत्नी स्व. चिराग अली जाति (लबाणा) मुसलमान निवासी पीरकामडिया हाल मम्मड़खेड़ा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. शकीना बीबी पुत्री स्व. चिराग अली पत्नी याकूब खां जाति (लबाणा) मुसलमान निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट्रान

बनाम

1. रमजान खां पुत्र खुर्शेद खां
2. महबूब खां पुत्र तुफैल खां

पुत्रगण स्व. चिराग अली जाति मुसलमान निवासी पीकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंटान

4. मु. कुरेशा बीबी पुत्री चिराग अली पत्नी युसूफ खां जाति (लबाणा) मुसलमान निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. मु.नूरसेन बीबी पुत्री चिराग अली पत्नी अमीन खां जाति (लबाणा) मुसलमान निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. मु.मकसूदा बीबी बेवाह तुफैल खां जाति (लबाणा) मुसलमान निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. साहबीरयाम पुत्र
8. मु. करमभरी बीबी पुत्री
9. मु. गुलाबो बीबी पुत्री
10. मु. मदीना बीबी पुत्री

पुत्र/पुत्रियां स्व. तुफैल खां जाति (लबाणा) मुसलमान निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

11. मु. रोशना बीबी बेवाह खुर्शेद खां जाति (लबाणा) मुसलमान निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
12. इमदाद खां पुत्र
13. मु. सीमा बीबी पुत्री
14. मु. हुसना बीबी पुत्री
15. मु. आरफा बीबी पुत्री

पुत्र/पुत्रियां स्व खुर्देद खां पुत्र स्व. चिराग अली जाति (लबाणा) मुसलमान निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

– गौण रेस्पोडेंटान

उपस्थितः
1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री चतुभुर्ज सारस्वत – अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2
2. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 13–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 03–02–2017 के विरूद्ध पेश हुई है जिसका सार यह है कि वादगत भूमि चक 23 एनजीसी चक 12 एफटीपी एवं चक 3 डीपीएम कुल तादादी 44 बीघा स्व. चिराग अली पुत्र बेगे खां के नाम से दर्ज रिकार्ड थी जिसके संबंध में स्व. चिराग अली ने अपने जीवनकाल में कभी कोई

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत या अन्य दस्तावेज वादगत भूमि बाबत निष्पादित नहीं किया । स्व. चिराग अली के देहावसाना के पश्चात उनके सभी जायज व कानूनी वारीसान अपने अपने हिस्से के अनुसार अपनी अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। स्व. चिराग अली का दिनांक 05.02. 1991 को देहावसान हो गया। तत्पश्चात करीब 24 वर्षो बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने दिनांक 18.09.2014 को एक फर्जी व कूटरचित वसीयतनामा वादगत भूमि के संबंध में स्व. चिराग अली के फर्जी अगूंठा निशानी से निष्पादित कर के प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट नं0 1 व 2 का यह कृत्य अपने आप में तथाकथित वसीयतनामा को संदिग्ध करता है। किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पति व्यक्तिगत कानून के अनुसार न्यायगत होती है। स्व. चिराग अली की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम विधि के अनुसार ऐसा खातेदार अपनी सम्पति को 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत बिना शेष वारीसान के सहमति के नही कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस सुस्थापित सिद्वान्त को तोड मरोड कर रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 से नाजायज लाभ प्राप्त कर आदेश जैर अपील पारित किया है, जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। एक संदिग्ध वसीयत जो करीब 24 वर्षो पश्चात पक्षकारों के सामने लाई गई है उसके संबंध में इस प्रकार का विचारण करते हुए आदेश पारित करने वाले अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी रूप से निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। आदेश जैर अपील पूर्णतयाः मनमाना व स्वेच्छाचारी तरीके से कानून के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. रमजान खां तथा महबूब खां के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 2.1.15 को तहसील के ऑफिस कानूनगो द्वारा तहसीलदार के समक्ष टिप्पणी पेश की गई। तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिया जाकर निष्कर्ष निकाला गया कि वसीयत के गवाहों ने भी वसीयतकर्ता चिराग अली को स्वस्थचित स्वस्थ तथा होश–हवाश में बताया है। तहसीलदार की राय है कि वसीयतनामा यदि फर्जी या कूटरचित है तो आज तक सक्षम न्यायालय में चैलेंज क्यों नहीं किया गया ? आगे कहा गया है कि वसीयतनामा हमारे समक्ष आने के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज किया जाना उचित नहीं है। उक्त विवेचन के पश्चात तहसीलदार ने विरासत पर वसीयत को अभिभावी मानकर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रश्नगत वसीयत दस्तावेज की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। वसीयत कर्ता चिराग अली ने केवल दो पोतो का ही उल्लेख किया है। इसके अलावा अपनी पत्नी पुत्र तथा पुत्रियों के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है, कोई उल्लेख नहीं है। वसीयत इबादत पर चिराग अली के साथ शाह मोहम्मद तथा रमजान नाम के दो गवाहों के अंगूठा निशान करवाये है तथा नोटेरी से दस्तावेज को प्रमाणित करवाया गया है। वसीयतकर्ता चिराग अली की मृत्यू वसीयत दस्तावेज लिखने के 11 माह बाद होने का उल्लेख है। जब वसीयत के बारे में रमजान तथा महबूब खां को पूरी जानकारी थी तथा दस्तावेज उनके कब्जे में था तो चिराग अली की मृत्यू सन् 1991 के पश्चात तथा उसके पुत्र खुर्शेद खां की मृत्यु सन् 2007 में होने के तुरन्त बाद नामान्तरकरण हेतु उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया ? वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरान्त वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत न होने तक मृतक की सम्पति का उपयोगकर्ता कौन रहा है ? इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जब तक वसीयत प्रभावी नहीं हो सामान्यतः मृतक खातेदार के वारिसों का ही पैतृक भूमि पर कब्जा एवं उपयोग माना जावेगा। स्पष्ट है कि वसीयत दस्तावेज पेश करने वाले चिराग अली के पौत्रों ने सन् 1991 से 2015 तक की 26 साल की अवधि में विवादित भूमि पर चिराग अली के वैध वारिसों के कब्जे एवं उपयोग को मान्यता दी है। पक्षकार मुस्लिम विधि से गवर्न होते है। मुस्लिम विधि में जब तक अन्य रूप साबित नहीं कर दिया जावे, कुल सम्पति के 1/3 हिस्से की सीमा तक ही वसीयत की जा सकती है। विचाराधीन प्रकरण में सम्पूर्ण सम्पति की वसीयत लिखी गई है। 1/3 से अधिक भाग की वसीयत करने के लिये प्रथा को साबित करना आवश्यक है। साथ ही इच्छा पत्र कर्ता का कोई उत्तराधिकारी न हो, शेष उत्तराधिकारियों की सहमति की शर्तो की पूर्ति होना भी आवश्यक है। रेस्पोडेंट्स ने ऐसी किसी रिवाज या सहमति का उल्लेख नहीं किया है। पक्षकार मुस्लिम विधि के बजाय स्थानीय परम्पराओं को मानते है तो दादा से प्राप्त भूमि को दादालाई (Ancestral) को मानना पड़ेगा तथा ऐसी सम्पति में खातेदार के वारिसों का जन्म से हक बनता है। ऐसे हकों को वसीयत पर प्रभावी माना जाता है। परीक्षण न्यायालय ने विरासत पर वसीयत दस्तावेज को अभिभावी मानने से पूर्व इन कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं किया तथा विधि मान्यता को चुनौति दिये जाने के बाद सिविल

न्यायालय से विधि मान्य धोषित करवाये बिना अपंजीकृत वसीयत दस्तावेज के आधार नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भूल की है।

अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार टिब्बी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार टिब्बी को रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक खातेदार चिराग अली के प्राकृतिक वारिसों की एक माह के भीतर जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही पूर्ण करें।

निर्णय आज दिनांक 13–09–2019 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।